‘Apprenticeship-Cum-Job Fair (ACJF)’ Policy Guidelines
ए.सी.जे.एफ. के लिए नीति दिशानिर्देश

1. Portal, ‘Apprenticeship-Cum-Job Fair (ACJF)’ is a digital platform only for pass out and final year Graduation & Diploma pursuing students to enable them to connect to the industries requiring candidates for jobs through National Apprenticeship Training Scheme (NATS) in immediate future.

1. 'ए.सी.जे.एफ. पोर्टल' केवल उत्तीर्ण और अंतिम वर्ष के स्नातक और डिप्लोमा प्राप्त छात्रों के लिए एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जो उन्हें निकट भविष्य में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) के माध्यम से नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की आवश्यकता वाले उद्योगों से जुड़ने में सक्षम बनाता है।

2. This portal doesn’t guarantee any job; however, it provides golden opportunities to aspiring eligible students through making suitable match with the demand & supply.

2. यह पोर्टल किसी भी प्रकार की नौकरी की गारंटी नहीं देता है; हालाँकि, यह इच्छुक योग्य छात्रों की मांग और आपूर्ति की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु सुनहरे अवसर प्रदान करता है।

3. The eligibility of the students for enrolment on ‘Apprenticeship-Cum-Job Fair (ACJF)’ portal is:

a. Successfully Graduation/Diploma passed out students.

b. Final year students pursuing Graduation/Diploma courses.

3. 'ए.सी.जे.एफ. पोर्टल' पर नामांकन के लिए छात्रों की पात्रता इस प्रकार है:

क. सफलतापूर्वक स्नातक/डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्र।

ख. स्नातक/डिप्लोमा पाठ्यक्रम कर रहे अंतिम वर्ष के छात्र।

4. The students completing basic enrolment will be allowed to participate in maximum 4 (Four) Job Fairs or till they are selected in suitable establishments/industries through this platform, whichever is earlier.

4. बुनियादी नामांकन पूरा करने वाले छात्रों को अधिकतम 4(चार) रोज़गार मेलों में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी या जब तक कि वे इस मंच के माध्यम से उपयुक्त प्रतिष्ठानों/उद्योगों में चयनित नहीं हो जाते, जो भी पहले हो।

5. Students completing secondary enrolment will have an additional facility of their profile available for industries to shortlist them for calling for interviews directly. The calling/shortlisting of a candidate in this case will be maximum for 10 (Ten) times or till the time he/she is selected by the establishments/industries whichever is earlier.

5. माध्यमिक स्तर पर नामांकन पूरा करने वाले छात्रों को उनके प्रोफ़ाइल की एक अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध होगी जिससे उद्योग उन्हें सीधे साक्षात्कार के लिए बुला सकते हैं। इस मामले में, किसी उम्मीदवार को अधिकतम 10 (दस) बार या जब तक स्थापना/उद्योग द्वारा उसका चयन नहीं हो जाता, जो भी पहले हो, बुलाया/शॉर्टलिस्ट किया जा सकेगा।

6. The enrolled students are advised to log in to their dashboard periodically for regular updates as all notifications will be send through their dashboard. In case the enrolled candidates are found not logged in for a continuous period of 1 (One) month or more his/her candidature will be blocked and shall not be considered active for any further process.

6. नामांकित छात्रों को नियमित अपडेट के लिए समय-समय पर अपने डैशबोर्ड में लॉग इन करने की सलाह दी जाती है क्योंकि सभी सूचनाएं उनके डैशबोर्ड के माध्यम से भेजी जाएंगी। यदि नामांकित उम्मीदवार लगातार 1 (एक) महीने या उससे अधिक समय तक लॉग इन नहीं करते पाए जाते हैं, तो उनकी उम्मीदवारी ब्लॉक कर दी जाएगी और उन्हें आगे की किसी भी प्रक्रिया के लिए सक्रिय नहीं माना जाएगा।

7. The selected candidates are informed that (prior to accepting any offer on the portal) they must have a valid enrolment ID of NATS portal with url: www.nats.education.gov.in in order to accept the offer of employment as mentioned above. The students must note that the establishments are free to hire the candidates for this portal initially for apprenticeship training under The Apprentices Act 1961 and The Apprenticeship Rules 1992 both amended thereafter time to time for suitable period to be decided by the establishments before confirming the permanent employment to the candidates.

7. चयनित उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि (पोर्टल पर किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले) उनके पास NATS पोर्टल का एक वैध नामांकन आईडी होना आवश्यक है, जिसका URL:www.nats.education.gov.in हो। ताकि ऊपर बताए गए रोजगार के प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सके। छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि संस्थान इस पोर्टल के लिए उम्मीदवारों को शिक्षुता अधिनियम 1961 और शिक्षुता नियम 1992 (दोनों संशोधित) के तहत शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके

बाद, उम्मीदवारों को स्थायी रोजगार की पुष्टि करने से पहले, संस्थान द्वारा समय-समय पर उपयुक्त अवधि के लिए निर्णय लिया जाएगा।

8. The establishments are allowed to participate in the Job Fairs through this portal and also to prepare panel of students for conducting interviews at their venues. The establishments are allowed to prepare the panel or participate in the Job Fairs only if they completely entered all relevant information regarding selection/rejection/waitlist of the candidates of all past activities (Job Fair attended/ Panel prepared) in which they have participated.

8. स्थापनाओं को इस पोर्टल के माध्यम से रोज़गार मेलों में भाग लेने और अपने कार्यस्थलों पर साक्षात्कार आयोजित करने के लिए छात्रों का पैनल तैयार करने की अनुमति है। स्थापनाओं को पैनल तैयार करने या रोज़गार मेलों में भाग लेने की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब उन्होंने उन सभी पिछली गतिविधियों (रोज़गार मेले में भाग लेना/पैनल तैयार करना) के उम्मीदवारों के चयन/अस्वीकृति/प्रतीक्षा सूची से संबंधित सभी प्रासंगिक जानकारी पूरी तरह से दर्ज की हो, जिनमें उन्होंने भाग लिया है।

By enrolling on ‘Apprenticeship-Cum-Job Fair (ACJF)’ Portal, students are deemed to have gone through the abovementioned information/instructions/policy documents so that they submit their agreement to all the clauses mentioned therein before completing their primary registration.

'ए.सी.जे.एफ.’ पोर्टल पर नामांकन करने पर, यह माना जाएगा कि छात्रों ने उपर्युक्त जानकारी/निर्देशों/नीति दस्तावेजों को पढ़ लिया है जिससे वे अपना प्राथमिक पंजीकरण पूरा करने से पहले उनमें उल्लिखित सभी नियमों के प्रति अपनी सहमति व्यक्त कर सकें।